नईदुनिया



## संपादकीय

### दस हजार में बिकता भविष्य, जब मार्कशीट बाजार में मिलने लगे तो डिग्री का क्या मोल

*शिक्षा ज्ञान, योग्यता और बेहतर भविष्य की नींव है, लेकिन जब इसी शिक्षा की जगह कागज बेचने का कारोबार शुरू हो जाए तो यह केवल व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। मध्यप्रदेश में दस हजार रुपये में बारहवीं की मार्कशीट और बीस हजार रुपये तक में स्नातक की डिग्री मिलने की शिकायतें सामने आना इसी चिंता को गहरा करता है। सतना से सामने आया फर्जी मार्कशीट का मामला बताता है कि शिक्षा माफिया किस तरह विद्यार्थियों की मजबूरी और उनके सपनों को अपना कारोबार बना रहा है।*

*फर्जीवाड़े में कई कथित बोर्डों के नाम का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। दलाल गांव-गांव पहुंचकर कम अंक पाने या परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को वैध प्रमाणपत्र का भरोसा देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इन दस्तावेजों से कॉलेज में प्रवेश और आगे नौकरी हासिल की जा सकती है। वास्तविकता तब सामने आती है, जब प्रवेश या नौकरी के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन होता है। विद्यार्थी के हाथ में फर्जी कागज रह जाता है, जबकि उसके पैसे, समय और भविष्य पर संकट खड़ा हो जाता है।*

*सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे खेल में पीड़ित विद्यार्थी और अपराधी के बीच फर्क करना जरूरी है। जो छात्र धोखे में फंसकर पैसा देता है, उसका भविष्य बचाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, बेचने और उनका नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि दर्जनों फर्जी अंकसूचियां पकड़े जाने के बाद भी यह कारोबार जारी है तो जांच की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इतने बड़े नेटवर्क का संचालन बिना किसी स्तर पर संरक्षण या लापरवाही के संभव है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। फर्जी मार्कशीट का नुकसान केवल संबंधित विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता। यदि बिना योग्यता के व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल करने या संवेदनशील पेशों में पहुंचने लगे तो उसका असर समाज पर पड़ता है। शिक्षा में कागज को ज्ञान का विकल्प बना देना योग्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और संस्थानों की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है।*

*सरकार को इस मामले में तात्कालिक और स्थायी दोनों स्तरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के प्रमाणपत्रों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था बनाई जाए। निजी और सरकारी संस्थानों में प्रवेश से पहले दस्तावेजों का अनिवार्य डिजिटल सत्यापन हो। फर्जी प्रमाणपत्र बनाने और बेचने वाले गिरोहों की पहचान के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की जाए और धन के लेनदेन से लेकर पूरे नेटवर्क की जांच हो। साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को अधिकृत बोर्डों की जानकारी देकर जागरूक किया जाए।*

*शिक्षा को बाजार में बिकने वाली वस्तु बनने से रोकना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। दस हजार रुपये में बिकती मार्कशीट वास्तव में कागज की बिक्री नहीं, बल्कि किसी विद्यार्थी के भविष्य और प्रदेश की योग्यता के साथ किया जा रहा सौदा है। इस सौदे को अभी रोकना होगा, क्योंकि शिक्षा की विश्वसनीयता बची रहेगी तभी प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा।*

## आजकल

### जहरीली शराब से मौत नहीं, हत्या - निलंबन, तबादले का नाटक और बड़े मगरमच्छों पर मौन

सागर जिले के बंडा ब्लॉक में जहरीली शराब से सात और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 25 तक पहुंचना किसी सामान्य प्रशासनिक चूक का मामला नहीं है। यह उन परिवारों की त्रासदी है, जिनके घरों के कमाने वाले सदस्य अब लौटकर नहीं आएंगे। हर ऐसे हादसे के बाद सरकार जांच के आदेश देती है, कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सवाल है - क्या निलंबन ही इस गंभीर अपराध की अंतिम सजा है?

जहरीली शराब का कारोबार अचानक नहीं पनपता। इसके लिए अवैध बिक्री, निगरानी की विफलता और स्थानीय स्तर पर संरक्षण का नेटवर्क जिम्मेदार होता है। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अवैध शराब बिकती रही और जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी तो जवाबदेही केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जांच का दायरा ऊपर तक जाना चाहिए।

सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में बड़ी संख्या गरीब मजदूरों की होती है। चार लाख रुपये का मुआवजा परिवार को तत्काल राहत दे सकता है, लेकिन वह किसी की जान की कीमत नहीं हो सकता। असली सवाल यह है कि अगली मौत कैसे रोकी जाए।

सरकार को इस मामले में दिखावटी कार्रवाई के बजाय पूरे नेटवर्क को उजागर करना होगा। शराब के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक लेनदेन और संरक्षण देने वालों की जांच हो। दोष सिद्ध होने पर शराब माफिया के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई हो। केवल निलंबन या तबादला पर्याप्त नहीं है।

जहरीली शराब से हुई मौतों को महज दुर्घटना मानकर आगे बढ़ जाना प्रशासनिक विफलता को स्थायी बना देगा। यह तय करना होगा कि कानून गरीब की मौत पर ही नहीं, बल्कि उस मौत से मुनाफा कमाने वाले हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो। बड़े मगरमच्छ कार्रवाई से बाहर रहे तो अगली त्रासदी केवल समय का इंतजार होगी।

# भोपाल में बप्पा का डिजिटल दरबार, चार हजार पंडालों में गूंजेगा जेन जी थीम का जयकारा

भोपाल में गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच इस बार युवा पीढ़ी ने पंडालों को सिर्फ सजावट और धार्मिक प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रखने की तैयारी की है। जेन जी की झांकियों में गणेश भक्ति के साथ विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पर्यावरण संरक्षण और साइबर सुरक्षा जैसे विषय दिखाई देंगे। यानी गणेशजी की आराधना के साथ बदलती दुनिया को समझने और समाज को जागरूक करने का प्रयास भी होगा। सोमवार, 14 सितंबर से शुरू हो रहे उत्सव को लेकर राजधानी में करीब चार हजार पंडाल आकार ले रहे हैं और हर पंडाल में जेन जी थीम की झलक साफ दिखाई दे रही है।

जेन जी यानी जनरेशन जेड, जो नई तकनीक और सोशल मीडिया में पली-बढ़ी है। इस पीढ़ी ने गणेश उत्सव को एक नए अंदाज में पेश करने का फैसला किया है। इनके पंडालों में केवल भक्ति नहीं, बल्कि संदेश भी होगा। एआई से बनी झांकियां, रोबोट द्वारा आरती और सेंसर से चलने वाले दृश्य इस बार आकर्षण का केंद्र होंगे। युवाओं का मानना है कि धर्म को यदि तकनीक से जोड़ा जाए तो वह और भी प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए इस बार पंडालों में डिजिटल गणेश दरबार देखने को मिलेगा।

इस बार कई पंडालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को थीम बनाया गया है। एआई के जरिए गणेशजी की पौराणिक कथाओं को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जाएगा। भक्त अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके गणेशजी की कथा सुन सकेंगे। कुछ पंडालों में वर्चुअल रियलिटी के जरिए कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जाएंगे तो कहीं होलोग्राम से गणेशजी की मूर्ति हवा में तैरती नजर आएगी। साइबर सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। झांकियों में बताया जाएगा कि कैसे ऑनलाइन ठगी से बचा जाए।

हिंदू मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति, भेल मछली में गणेशजी की मूर्ति के आसपास पानी, पेड़-पौधों से सजावट की गई है। समिति ने तय किया है कि इस बार थर्माकोल और प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जीवित पौधों से पंडाल को सजाया जाएगा। उत्सव के बाद इन पौधों को भक्तों में बांटा जाएगा, ताकि वे अपने घरों में लगाएं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश है। अवधपुरी के सिद्धांत पैलेस में जेन जी ग्रुप ने भी पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखा है। यहां ईको फ्रेंडली गणेश मूर्ति स्थापित की जाएगी।

ईको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन इस बार और बढ़ गया है। मिट्टी से बनी मूर्तियों में बीज डाले जा रहे हैं, ताकि विसर्जन के बाद पौधा उग सके। कई समितियों ने प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियां मंगवाई हैं। विसर्जन के लिए बड़े तालाब के बजाय कृत्रिम तालाबों का उपयोग किया जाएगा, ताकि जल प्रदूषण न हो। जेन जी ग्रुप का कहना है कि भक्ति के साथ प्रकृति की रक्षा भी जरूरी है। इसलिए हर पंडाल में जल संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश दिया जाएगा।

राजधानी में इस बार चार हजार से अधिक पंडाल आकार ले रहे हैं। हर गली-मोहल्ले में बप्पा के स्वागत की तैयारी चल रही है। छोटे पंडालों में स्थानीय कलाकारों द्वारा झांकियां बनाई जा रही हैं तो बड़े पंडालों में पेशेवर कलाकारों को बुलाया गया है। प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पंडालों में सीसीटीवी और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। पुलिस ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई है।

जेन जी थीम में सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग होगा। कई पंडालों में सेल्फी प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जहां एआई फिल्टर के जरिए भक्त गणेशजी के साथ फोटो ले सकेंगे। इंस्टाग्राम रील के लिए अलग लाइटिंग जोन बनाए गए हैं। युवा मंडल लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आरती का प्रसारण करेंगे, ताकि जो लोग पंडाल नहीं आ सके, वे घर बैठे दर्शन कर सकें। यह डिजिटल भक्ति का नया रूप है।

पुलिस और नगर निगम ने भी उत्सव को लेकर कमर कस ली है। सभी पंडालों को अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। बिजली विभाग ने अस्थायी कनेक्शन के लिए विशेष कैंप लगाए हैं। यातायात पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों में रूट डायवर्ट करने की योजना बनाई है। विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं, ताकि यातायात और पर्यावरण दोनों का संतुलन बना रहे।

जेन जी थीम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। युवा चाहते हैं कि उत्सव केवल शोर-शराबे तक सीमित न रहे, बल्कि समाज को कुछ सिखाकर जाए। इसलिए हर पंडाल में कोई न कोई सामाजिक संदेश होगा। कहीं नशामुक्ति का तो कहीं सड़क सुरक्षा का, कहीं जल बचाने का तो कहीं डिजिटल ठगी से बचने का। यह उत्सव को और भी सार्थक बनाएगा।

इस बार का गणेश उत्सव भोपाल के लिए खास होगा, क्योंकि इसमें परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। चार हजार पंडालों में गूंजने वाला बप्पा का जयकारा जब एआई की रोशनी, जेन जी की सोच और पौधों की हरियाली के साथ मिलेगा तो यह उत्सव यादगार बन जाएगा। युवा पीढ़ी ने साबित कर दिया है कि धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए और तकनीक को भक्ति से जोड़कर ही समाज को नई दिशा दी जा सकती है।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

### गणेश उत्सव में इस बार टेक्नोलॉजी और आस्था का संगम

**हिंदू मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति, भेल मछली में गणेशजी की मूर्ति के आसपास पानी, पेड़-पौधों से सजावट की गई है। समिति ने तय किया है कि इस बार थर्माकोल और प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जीवित पौधों से पंडाल को सजाया जाएगा। उत्सव के बाद इन पौधों को भक्तों में बांटा जाएगा, ताकि वे अपने घरों में लगाएं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश है। अवधपुरी के सिद्धांत पैलेस में जेन जी ग्रुप ने भी पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखा है। यहां ईको फ्रेंडली गणेश मूर्ति स्थापित की जाएगी।**

# अक्षर से आत्मनिर्भरता तक भोपाल की 423 महिलाओं ने बदली साक्षरता की परिभाषा

साक्षरता दिवस पर अक्सर चर्चा कागज पर लिखे अक्षरों तक सीमित रह जाती है, लेकिन भोपाल की धरती पर इस बार एक नया अध्याय लिखा गया है, जहां साक्षरता का अर्थ केवल किताब पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन को पढ़ना बन गया है। शहर के आसपास की 423 महिलाओं ने जैविक खेती और गृह उद्योग के माध्यम से यह साबित किया है कि जब ज्ञान खेत में उतरता है तो आत्मनिर्भरता की फसल लहलहाती है। यह कहानी किसी सरकारी आंकड़े की नहीं, बल्कि उन महिलाओं की है, जिन्होंने कभी घर की चारदीवारी को ही अपनी दुनिया माना था और आज वे बाजार में अपने उत्पाद का दाम खुद तय कर रही हैं।

कैसे शुरू हुआ बदलाव, सात किसानों से 423 महिलाओं तक का सफर - 2016 में एक छोटे से विचार के साथ भूमिशा ऑर्गेनिक्स की नींव रखी गई थी। शुरुआत में केवल सात किसान जुड़े थे। उद्देश्य था रासायनिक खाद से मुक्त खेती करना, लेकिन धीरे-धीरे इस विचार ने महिलाओं को जोड़ा। प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें केवल जैविक खाद बनाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह भी बताया गया कि छोटा उद्योग कैसे शुरू करें, दस्तावेज कैसे तैयार करें, बैंक से संपर्क कैसे करें और अपने उत्पाद को ग्राहक तक कैसे पहुंचाएं। आज इसी प्रयास का परिणाम है कि 423 महिलाएं इस समूह से जुड़ी हैं और उनमें से कई ने अपने छोटे उद्योग शुरू कर दिए हैं।

कागजी साक्षरता से व्यावहारिक साक्षरता की ओर - अक्सर हम साक्षरता को केवल हस्ताक्षर करने या बैंक में पर्ची भरने तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन असली साक्षरता वह है, जब महिला यह समझे कि ईएमआई क्या होती है, एनईएफटी और आरटीजीएस में अंतर क्या है, बचत और निवेश में क्या फर्क है और अपने उत्पाद की लागत कैसे निकाली जाती है। भोपाल के इस अभियान में महिलाओं को यही व्यावहारिक शिक्षा दी गई। बैंक प्रणाली में आने वाली घबराहट को दूर किया गया। अब वे खुद अपना खाता संभालती हैं और बैंक अधिकारियों से बिना डर के बात करती हैं।

जैविक खेती बनी रोजगार का जरिया - जैविक खेती केवल पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय भी है। रासायनिक खाद के बढ़ते दामों के बीच गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम आधारित कीटनाशक ने खेती की लागत को आधा कर दिया है। महिलाओं ने अपने घर के पीछे बंजर पड़ी जमीन पर जैविक सब्जी उगाना शुरू किया। अचार, पापड़ और मसाले बनाकर पैकिंग की और स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। इससे उन्हें हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगी और सबसे बड़ी बात यह कि उनके परिवार को शुद्ध भोजन मिलने लगा।

प्रशिक्षण का तरीका, किताब नहीं खेत बना पाठशाला - इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रशिक्षण तरीका है। यहां ब्लैकबोर्ड नहीं, खेत ही पाठशाला है। सुबह के समय महिलाएं खेत में काम करती हैं और दोपहर में उसी खेत के किनारे बैठकर हिसाब-किताब सीखती हैं। उन्हें बताया जाता है कि एक किलो टमाटर की लागत क्या है, बाजार में उसका भाव क्या है और मुनाफा कैसे निकाला जाता है। दस्तावेज कैसे तैयार करें, जीएसटी क्या होता है और ऑनलाइन बिक्री कैसे करें, यह सब भी सरल भाषा में समझाया जाता है। आत्मविश्वास की नई उड़ान, घर से बाजार तक - पहले जो महिलाएं घर से बाहर निकलने में हिचकती थीं, आज वे समूह बनाकर शहर के हाट बाजारों में स्टॉल लगाती हैं, ग्राहकों से मोलभाव करती हैं और सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद की फोटो डालती हैं। कई महिलाओं ने डिजिटल साक्षरता सीखकर अपने उत्पाद को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। अब गांव में उन्हें केवल किसी की पत्नी या मां के रूप में नहीं, बल्कि एक उद्यमी के रूप में जाना जाता है। वित्तीय स्वतंत्रता से परिवार में बढ़ा सम्मान - जब महिला अपने पैसों से बच्चों की फीस भरती है या घर के लिए कोई सामान खरीदती है तो परिवार में उसका सम्मान बढ़ता है। पहले जो फैसले केवल पुरुष लेते थे, अब उनमें महिलाओं की भी राय ली जाती है। कई महिलाओं ने बताया कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद उनके पति भी अब खेती में उनकी सलाह मानते हैं। यह छोटा बदलाव ही बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव है। चुनौतियां भी हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं - रास्ता आसान नहीं है। कई बार उत्पाद समय पर नहीं बिकता तो नुकसान होता है, कई बार बैंक ऋण लेने में कठिनाई आती है, लेकिन समूह की ताकत से वे इन चुनौतियों का सामना करती हैं। एक महिला को परेशानी होती है तो दूसरी मदद के लिए आगे आती है। यही समूह की सबसे बड़ी ताकत है।

प्रतिभा तिवारी जैसी मार्गदर्शक ने उन्हें सिखाया है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए वे हार नहीं मानतीं। भविष्य की राह, हर गांव में ऐसी पाठशाला हो - भोपाल का यह प्रयोग पूरे मध्यप्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकता है। यदि हर जिले में ऐसी व्यावहारिक साक्षरता पाठशाला शुरू की जाए, जहां महिलाओं को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ जैविक खेती, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल बिक्री की जानकारी दी जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी पहलों को केवल पुरस्कार देकर नहीं, बल्कि बाजार उपलब्ध कराकर सहयोग करे। जब महिला सीखती है तो पीढ़ियां संवरती हैं। साक्षरता का असली उत्सव तभी है, जब वह एक महिला को आत्मनिर्भर बनाए। भोपाल की 423 महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, वह मिट्टी में भी होता है और जब वही ज्ञान हाथों में हुनर बन जाता है तो पूरा समाज बदल जाता है। यह केवल जैविक खेती की कहानी नहीं है, यह महिला सशक्तीकरण की नई परिभाषा है, जहां अक्षर से बाजार तक का सफर तय किया जा रहा है।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

### साक्षरता का नया अर्थ केवल हस्ताक्षर नहीं, बाजार का ज्ञान

**जैविक खेती बनी रोजगार का जरिया - जैविक खेती केवल पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय भी है। रासायनिक खाद के बढ़ते दामों के बीच गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम आधारित कीटनाशक ने खेती की लागत को आधा कर दिया है। महिलाओं ने अपने घर के पीछे बंजर पड़ी जमीन पर जैविक सब्जी उगाना शुरू किया। अचार, पापड़ और मसाले बनाकर पैकिंग की और स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। इससे उन्हें हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगी और सबसे बड़ी बात यह कि उनके परिवार को शुद्ध भोजन मिलने लगा।**

# शिक्षा की नगरी में अंधेरा, कमरों में कैद छात्र और हॉस्टल माफिया का मनमाना राज

भोपाल शहर को अब शिक्षा की नगरी कहा जाने लगा है। कोचिंग सेंटरों की भरमार है और हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां आते हैं, लेकिन इन छात्रों के रहने के लिए जो हॉस्टल बनाए गए हैं, उनकी हकीकत बेहद डरावनी है। आवासीय इलाकों में बिना अनुमति के चल रहे हॉस्टलों में छात्रों से न केवल मनमाना किराया वसूला जा रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। एक छोटे से कमरे में चार से पांच छात्रों को ठूंसना, बिजली-पानी के नाम पर अतिरिक्त वसूली और विरोध करने पर सामान बाहर फेंक देना आम बात हो गई है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद यह सवाल और भी बड़ा हो गया है कि क्या भोपाल किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है।

शहर के एमपी नगर, रचना नगर और गौतम नगर जैसे इलाकों में हर तीसरे मकान पर हॉस्टल का बोर्ड लगा है, लेकिन इनमें से अधिकतर हॉस्टलों के पास नगर निगम की अनुमति तक नहीं है। आवासीय उपयोग के लिए बनी मल्टी और स्वतंत्र मकानों को हॉस्टल में बदल दिया गया है। एक ही मल्टी में आठ ऑफिस, तेरह परिवार और तीन अवैध हॉस्टल चल रहे हैं। न फायर सेफ्टी है, न सुरक्षा का कोई इंतजाम। छात्राएं तक ऐसे हॉस्टलों में असुरक्षित महसूस करती हैं। रात में अनजान लोगों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन शिकायत करने पर संचालक धमकी देता है।

ज्यादातर हॉस्टलों में कमरों का आकार दस बाई बारह फीट का है, लेकिन उसमें पांच-पांच छात्रों को रखा जा रहा है। पढ़ाई के लिए टेबल तक की जगह नहीं है। शोर-शराबा इतना रहता है कि पढ़ाई का माहौल ही नहीं बनता। दो महीने का एडवांस जमा कराया जाता है और यदि छात्र बीच में छोड़ना चाहे तो पैसा वापस नहीं किया जाता। कूलर चलाने के नाम पर तीन हजार रुपये तक अतिरिक्त मांगे जाते हैं और यदि छात्र विरोध करे तो दो दिन में कमरा खाली करने का फरमान सुना दिया जाता है। कई मामलों में तो ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया जाता है।

हॉस्टलों में खाने की गुणवत्ता बेहद खराब है। दाल में पानी, सब्जी में कीड़े और चावल में कंकड़ आम शिकायत है। सफाई के नाम पर महीने में एक बार झाड़ू लगाई जाती है। बाथरूम की हालत इतनी खराब है कि बीमार होने का खतरा हमेशा बना रहता है। छात्र बीमार होते हैं तो संचालक जिम्मेदारी लेने से बचता है। सुरक्षा के नाम पर कोई गार्ड नहीं है। सीसीटीवी कैमरे केवल दिखावे के लिए लगे हैं। महिला हॉस्टलों में भी पुरुष कर्मचारियों का बेरोकटोक आना-जाना लगा रहता है, जिससे छात्राओं में डर का माहौल रहता है।

छात्र शिकायत इसलिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। कई हॉस्टल संचालक छात्रों के आधार कार्ड और मूल प्रमाण पत्र जमा करा लेते हैं, ताकि वे विरोध न कर सकें। कोचिंग की तैयारी में व्यस्त छात्र इन पचड़ों से बचना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप शोषण सहते रहते हैं। अभिभावक दूर होते हैं, इसलिए उन्हें असली हालत का पता ही नहीं चलता। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती, तब तक यह काला कारोबार चलता रहता है।

हॉस्टल के पंजीयन को लेकर पुलिस कहती है कि यह नगर निगम देखेगा और जिला प्रशासन कहता है कि शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे। इस टालमटोल के कारण हॉस्टल माफिया बेलगाम हो गया है। शहर में कितने हॉस्टल हैं, कहां चल रहे हैं और किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा किसी विभाग के पास नहीं है। न अग्निशमन विभाग की जांच होती है, न खाद्य विभाग की। इससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

कुछ साल पहले दिल्ली के एक कोचिंग हब में आग लगने से कई छात्रों की जान गई थी। जांच में सामने आया था कि हॉस्टल में निकास का रास्ता तक नहीं था। भोपाल के हॉस्टलों की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। अधिकतर हॉस्टल संकरी गलियों में हैं, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती। एक छोटे से कमरे में पांच छात्र यदि फंस जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल है। फिर भी प्रशासन नींद में है।

सभी हॉस्टलों का पंजीयन अनिवार्य किया जाना चाहिए और एकल खिड़की प्रणाली से अनुमति दी जानी चाहिए। फायर सेफ्टी, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए स्पष्ट मानक तय किए जाएं। किराया नियंत्रण कानून लागू किया जाए, ताकि मनमानी वसूली रोकी जा सके। छात्रों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल बनाया जाए। महिला हॉस्टलों में महिला स्टाफ और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य किए जाएं। हॉस्टल संचालकों का पुलिस सत्यापन और भवन का फायर ऑडिट हर साल हो।

छात्र अपने घर से दूर सपनों को पूरा करने के लिए भोपाल आते हैं। उन्हें कैद नहीं, बल्कि पंख चाहिए। रहने की सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी तो वे पढ़ाई कैसे करेंगे? हॉस्टल व्यवसाय बुरा नहीं है, लेकिन उसका नियमन जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा की नगरी को शोषण की नगरी बनने से रोके। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं, जब भोपाल में भी दिल्ली जैसा हादसा हो जाएगा और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन जागे और हॉस्टल माफिया पर नकेल कसे।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

### भोपाल में हॉस्टल के नाम पर शोषण का नया अड्डा